

प्रायोग सेवा शिविर-2025


पत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ओडा
व भूअ.नि. राजसमन्द की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सायापगंज तहसील रेलमगरा
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 153 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सायापगंज	153	भंवरलाल पुत्र डडा जाति - (हाल्वी)	भंवरलाल पुत्र डडा जाति - (हाल्वी)


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा

क्रमांक:- 1/राजसम/2025/13
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/9/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा